फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **अपर जिला कलक्टर (प्रथम)** मुकाम **जोधपुर**

अपीलान्ट बनाम **रेस्पोडेन्ट**

माधाराम पुत्र सुजाराम, जाति जाट, निवासी शिवगांव तहसील लूणी जिला जोधपुर। — उप तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर व अन्य।

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील** 100 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	बनम्र व इस हुक्म तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
13.11.2019	अपीलार्थी के अभिभाषक श्रवण सोंलकी उपस्थित। अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश दिनांक 14.08.2019 जो उप तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 2/2019 बअनवान राज्य सरकार बनाम माधाराम अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित करते हुए अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए उसे बेदखल करने के साथ जुर्माना व 90 दिन के सिविल कारावास से दंडित किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते है। अपीलान्ट के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का कालीजाल ने उप तहसीलदार झंवर के समक्ष रिपोर्ट पेश कि ग्राम शिवगांव के खसरा नं0 402 रकबा 1.10 बीघा भूमि गै0 मु0 रास्ता सरकारी भूमि पर अप्रार्थी माधाराम ने संवत् 2076 में सरकारी रास्ता पर अतिक्रमण किया है। इस पर उप तहसीलदार, झंवर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट (अप्रार्थी) को निर्धारित प्रारूप में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 07.08.2019 को तारीख पेशी नियत की गई। अपीलान्ट दिनांक 07.08.2019 को अधीनस्थ अधिकारी के समक्ष जरिये अधिवक्ता के उपस्थित हुआ तथाा जवाब हेतु समय चाहा गया, जिस पर दिनांक 14.08.2019 की तारीख नियत की गई, उस दिन अपीलान्ट की ओर से जवाब पेश कर कथन किया गया कि उसका सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन पटवार हल्का, आर0 आई0 तथा सरपंच अप्रार्थी (अपीलान्ट) के परिवार से द्वेष भावना रखते है, इस कारण से उक्त प्रकरण पटवारी हल्का से बनावटी व मनगढन्त रिपोर्ट बनाकर पेश किया गया। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा मामले में अनावश्यक जल्दबाजी दिखाते हुए आनन–फानन में सरसरी तौर पर ही केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए एवं अपीलान्ट (अप्रार्थी) के जवाब पर विचार एवं मनन किये बिना उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 14.08.2019 को कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण नहीं किया गया। प्रार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए 90 दिन की सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है। अगर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया गया है और सीमाज्ञान से यदि कोई अतिक्रमण आता है तो प्रार्थी स्वयं अपने खर्च से हटाने को तैयार है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2019 को निरस्त फरमावे।	

हमने अपीलान्ट अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी एवं उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पटवारी हल्का ग्राम कालीजाल की रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार झंवर द्वारा राजस्व ग्राम शिवगांव के खसरा नं0 402 रकबा 1.10 बीघा भूमि गै0 मु0 रास्ता पर अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण एवं कब्जा मानते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। उप तहसीलदार, झंवर को निर्देश दिये जाते है कि वह एक टीम गठित कर गै0 मु0 रास्ते की भूमि का 15 दिवस में सीमाज्ञान करवाये तथा सीमाज्ञान के पश्चात अगर अतिक्रमी द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण पाया जाता है और अतिक्रमी 15 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटा लेता है तो अपीलाधीन आदेश सिविल कारावास की सीमा तक निरस्त माना जाएगा। यदि उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को अपीलान्ट नहीं हटाता है तो अपीलाधीन आदेशानुसार उप तहसीलदार झंवर को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति उप तहसीलदार झंवर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.11.27 18:11:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: